न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :– श्रीमती शकुंतला चौधरी आर.ए.एस.

मि0न0 – 47/2022(2022/84)
अनवान : –

1. राजपाल पुत्र श्री प्रेमचंद जाति जाट निवासी जनाणा तहसील भादरा।
2. सुशीला पत्नी स्व. धर्मपाल जाति जाट निवासी जनाणा तहसील भादरा। वादी

बनाम

1. प्रेमचंद पुत्र श्री नानूराम जाट निवासी जनाणा तहसील भादरा।
2. मायावती पुत्री प्रेमचंद पत्नी महेन्द्रसिंह पुत्र काशीराम निवासी चाहरवाला त. चौपटा जिला सिरसा
3. कलावती पुत्री प्रेमचंद पत्नी महेन्द्रसिंह पुत्र काशीराम निवासी चाहरवाला त. चौपटा जिला सिरसा।
4. अमित कुमार पुत्र स्व. धर्मपाल जाति जाट निवासी जनाणा तहसील भादरा।
5. रवि स्व. धर्मपाल जाति जाट निवासी जनाणा तहसील भादरा।
प्रतिवादीगण

दावा बाबत घोषणात्मक
अन्तर्गत धारा 88राजस्थान कास्तकारी अधिनियम

उपस्थिति :– श्री संदीप गोदारा वादी अधिवक्ता
श्री रविन्द्र मोठसरा प्रतिवादीगण अधिवक्ता

निर्णय

दिनांक: 30/03/2022

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा चक 5 एमआरएन के खाता सं. 171/157 के प.नं. 0 मु.न. 66 के किलाा नं. 11, 12, 13, 18, 19, 20, 21 एवं मु.न. 67 के किला नं. 12, 13 ता 18, 19, 20, 21, 22 ता 25 की कुल 4.7450 हैक्टर में प्रतिवादी सं. 01 के नाम से 1.067 हैक्टर हक व हिस्सा कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज है एवं इसी चक के खाता सं. 172/156 के प.न. 0 के 45 के किला नं. 16 व 25 एवं मु.नं. 46 के किला नं. 11 ता 25 एवं मु.न. 47 के किला नं. 20 व 21 एवं मु.न. 65 के किला नं. 01 ता 13, 18 ता 23, एवं मु.न. 66 के किला नं. 4 ता 7, 14 ता 17, 24, 25 की कुल 12.144 हैक्टर जिसमें नहरी0.4560 हैक्टर, बारनी 11.4630 हैक्टर, गै.मु. रास्ता 0.125हैक्टर, गै.मु. खाला 0.100 हैक्टर भूमि में प्रतिवादी सं. 01 के नाम से 0.823 हैक्टर खातेदारी काश्तकारी कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

वादी एवं प्रतिवादीगण हिन्दु है तथा हिन्दु उतराधिकार अधिनियम एवं हिन्दु मिताक्षरा पद्धति से शासित होते है। वाद भूमि पहले वादी के दादा नानूराम की खातेदारी हुआ करती थी। नानूराम के देहान्त होने पर वादभूमि जो प्रतिवादी सं. 01 प्रेमचंद ने कर्ता खानदान होने के चलते विरासतन इन्तकाल तन्हा प्रतिवादी प्रेमचंद ने अपने नाम से दर्ज करवा लिया। इस प्रकार वाद भूमि वादीगण एवं प्रतिवादीगण की दादालाई पैत्रक कृषि भूमि है जिसमें वादी का जन्म से हक व अधिकार निहित है। वादभूमि तन्हा प्रतिवादी प्रेमचंद के नाम दर्ज होने से वादी के अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।

उपखण्डअधिकारी (राजस्व) भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

उक्त वाद भूमि हिन्दु खानदान की जद्दी जायदाद है जो वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 प्रेमचंद को वादी के दादा नानूराम से विरासतन प्राप्त हुई है, जिसमें वादी का जन्म से हक व हिस्सा निहित है। उक्त वाद भूमि बाबत सभी पक्षकारानों में पारिवारिक समझौता किया हुआ है। प्रतिवादी सं. 01 वादी के पिता प्रेमचंद ने अपना हक हिस्सा वादीगण के पक्ष में तर्क कर एवं प्रतिवादिया संख्या 02 व 03 वादी की बहिन है, जिन्होंने अपना हक व हिस्सा की भूमि वादीगण हक में हिस्सा तर्क किया हुआ है। एवं प्रतिवादी सं. 04 व 05 अमित कुमार व रवि ने अपना हिस्सा अपनी माता वादीया सुशीला के पक्ष मे तर्क कर अपना हिस्सा शून्य किया हुआ है। जो राजीनामा में स्वीकार है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामिल होने के उपरान्त वादीगण व प्रतिवादीगण ने आपसी सहमति से राजीनामा पेश किया जो बाद तस्दीक पत्रावली पर लिया गया।

साक्ष्य वादी में वादी राजपाल पुत्र श्री प्रेमचंद जाति जाट निवासी जनाणा तहसील भादरा के साक्ष्य करवाये गये। साक्ष्यवादी में जमांबदी 5 एमआरएन खाता सं. 171/157 सवंत 2076–79 प्रदर्श – 1, खांता सं. 172/156 प्रदर्श–2, जमाबंदी खतौनी चक 5 एम आर एन सवंत 2044 खाता सं. 16 प्रदर्श–3, खतौनी जमाबंदी चक 5 एमआरएन सवंत 2044 खाता सं. 15 प्रदर्श–4 प्रदर्शित करवायें।

बहस उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने अपने दावा के तथ्यों को दोहराते हुए वाद वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया।

हमारे द्वारा विद्वान अभिभाषक की बहस पर मनन किया व पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजात का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया। हस्तगत वाद वादी ने रोही मौजा चक 5 एमआरएन के खाता सं. 171/157 के प.नं. 0 मु.न. 66 के किलाा नं. 11, 12, 13, 18, 19, 20, 21 एवं मु.न. 67 के किला नं. 12, 13 ता 18, 19, 20, 21, 22 ता 25 की कुल 4.7450 हैक्टर में प्रतिवादी सं. 01 के नाम से 1.067 हैक्टर हक व हिस्सा कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज है एवं इसी चक के खाता सं. 172/156 के प.न. 0 के 45 के किला नं. 16 व 25 एवं मु.नं. 46 के किला नं. 11 ता 25 एवं मु.न. 47 के किला नं. 20 व 21 एवं मु.न. 65 के किला नं. 01 ता 13, 18 ता 23, एवं मु.न. 66 के किला नं. 4 ता 7, 14 ता 17, 24, 25 की कुल 12.144 हैक्टर जिसमें नहरी0.4560 हैक्टर, बारानी 11.4630 हैक्टर, गै.मु. रास्ता 0.125हैक्टर, गै.मु. खाला 0.100 हैक्टर भूमि में प्रतिवादी सं. 01 के नाम से 0.823 हैक्टर कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। जिसमें वाद भूमि दादालाई कृषि भूमि होना साबित है जिसमें वादीगण बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार है। जिसमें प्रतिवादिया संख्या 02 व 03 वादी की बहिन है, जिन्होंने अपना

हक व हिस्सा की भूमि वादीगण के पक्ष में समान एवं प्रतिवादी सं. 04 व 05 अमित कुमार व रवि ने अपना हिस्सा अपनी माता वादिया सुशीला के पक्ष मे तर्क कर अपना हक शून्य कर लिया है, जिसे राजीनामा में स्वीकार किया है। इस प्रकार वाद वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किये जाने का निवेदन किया।

अत : वाद वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 5 एमआरएन के खाता सं. 171/157 के प.नं. 0 मु.न. 66 के किलाा नं. 11, 12, 13, 18, 19, 20, 21 एवं मु.न. 67 के किला नं. 12, 13 ता 18, 19, 20, 21, 22 ता 25 की कुल 4.7450 हैक्टर में प्रतिवादी सं. 01 के नाम से 1.067 हैक्टर हक व हिस्सा कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज है एवं इसी चक के खाता सं. 172/156 के प.न. 0 के 45 के किला नं. 16 व 25 एवं मु.नं. 46 के किला नं. 11 ता 25 एवं मु.न. 47 के किला नं. 20 व 21 एवं मु.न. 65 के किला नं. 01 ता 13, 18 ता 23, एवं मु.न. 66 के किला नं. 4 ता 7, 14 ता 17, 24, 25 की कुल 12.144 हैक्टर जिसमें नहरी0.4560 हैक्टर, बारनी 11.4630 हैक्टर, गै.मु. रास्ता 0.125हैक्टर, गै.मु. खाला 0.100 हैक्टर भूमि में प्रतिवादी सं. 01 के नाम से 0.823 हैक्टर कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। **उसमें प्रतिवादी सं. 01 प्रेमचंद का नाम कलमजन किया जाकर वादी राजपाल एवं वादिया सुशीला बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है।** यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त उपरोक्त घोषणा अनुसार वादीगण प्रत्येक को बहिस्सा बराबर के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करें। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 30/03/22 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(शकुंतला चौधरी)
उपखण्डाधिकारी (राजस्व), R.A.S
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा जिला हनुमानगढ़

पर्चा डिक्री

न्यायालय उपखण्डअधिकारी (राजस्व) भादरा, जिलाहनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :— श्रीमती शकुंतला चौधरी आर.ए.एस.

मि0न0 — 47 / 2022(2022 / 84)

अनवान : —

1. राजपाल पुत्र श्री प्रेमचंद जाति जाट निवासी जनाणा तहसील भादरा।
2. सुशीला पत्नी स्व. धर्मपाल जाति जाट निवासी जनाणा तहसील भादरा। वादी

बनाम

1. प्रेमचंद पुत्र श्री नानूराम जाट निवासी जनाणा तहसील भादरा।
2. मायावती पुत्री प्रेमचंद पत्नी महेन्द्रसिंह पुत्र काशीराम निवासी चाहरवाला त. चौपटा जिला सिरसा
3. कलावती पुत्री प्रेमचंद पत्नी महेन्द्रसिंह पुत्र काशीराम निवासी चाहरवाला त. चौपटा जिला सिरसा।
4. अमित कुमार पुत्र स्व. धर्मपाल जाति जाट निवासी जनाणा तहसील भादरा।
5. रवि स्व. धर्मपाल जाति जाट निवासी जनाणा तहसील भादरा।

प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ शकुंतला चौधरी उपखण्ड अधिकारी भादरा के समक्ष वकील वादी श्री संदीप गोदारा व वकील प्रतिवादी श्री रविन्द्र मोठसरा की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है किरोही मौजा चक 5 एमआरएन के खाता सं. 171 / 157 के प.नं. 0 मु.न. 66 के किलाा नं. 11, 12, 13, 18, 19, 20, 21 एवं मु.न. 67 के किला नं. 12, 13 ता 18, 19, 20, 21, 22 ता 25 की कुल 4.7450 हैक्टर में प्रतिवादी सं. 01 के नाम से 1.067 हैक्टर हक व हिस्सा कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज है एवं इसी चक के खाता सं. 172 / 156 के प.न. 0 के 45 के किला नं. 16 व 25 एवं मु.नं. 46 के किला नं. 11 ता 25 एवं मु.न. 47 के किला नं. 20 व 21 एवं मु.न. 65 के किला नं. 01 ता 13, 18 ता 23, एवं मु.न. 66 के किला नं. 4 ता 7, 14 ता 17, 24, 25 की कुल 12.144 हैक्टर जिसमें नहरी0.4560 हैक्टर, बारनी 11.4630 हैक्टर, गै.मु. रास्ता 0.125हैक्टर, गै.मु. खाला 0.100 हैक्टर भूमि में प्रतिवादी सं. 01 के नाम से 0.823 हैक्टर कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। **उसमें प्रतिवादी सं. 01 प्रेमचंद का नाम कलमजन किया जाकर वादी राजपाल एवं वादिया सुशीला बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है।** यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त उपरोक्त घोषणा अनुसार वादीगण प्रत्येक को बहिस्सा बराबर के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करें।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 30/03/22 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(मुहर: उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा जिला हनुमानगढ़)

(शकुंतला चौधरी)
R.A.S
उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा जिला हनुमानगढ़